कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांकः– 2352/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 10 ,2022

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
लखनऊ।

विषयः– गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के आर0ओ0डब्लू0 में स्थित भूमि पर मार्ग वृक्षारोपण कराने के संबंध में।

संदर्भः–
1. भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/643, दिनांक 17.01.2022
2. भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/727, दिनांक 09.02.2022
3. आपका पत्रांक–8658/1832/यूपीडा/20(वन), दिनांक 28.01.2022
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा का पत्रांक–8898/1832/यूपीडा/20(वन), दिनांक 09.02.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.01.2022 के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों में बिन्दु सं0–06 निम्न प्रकार आपत्ति लगाई गयी हैः–

"बिन्दु सं0–06 –***Plantation scheme for roadside plantation need to be submitted."***

2. उक्त आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में यूपीडा के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2022 द्वारा कतिपय पृच्छाए की गयी है, जिसका बिन्दु सं0–1 निम्न प्रकार है–
"1. वन विभाग के द्वारा यूपीडा के स्वामित्व वाली भूमि पर रोड साईड प्लान्टेशन करने का निर्देश क्या भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निर्गत एफ0सी0ए0 गाईड लाईन अथवा किसी ऑफिस मेमोरेण्डम (O.M) से आच्छादित है। यदि हॉ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।"

3. उक्त पृच्छा के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–2261/11–सी, दिनांक 01.02.2022 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ को* Clarification/निर्देश हेतु *अनुरोध किया गया था।*
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा के उपरोक्त पत्रांक–8898/1832/यूपीडा/20(वन), दिनांक 09.02.2022 द्वारा *Plantation scheme* इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। बिन्दु सं0–06 के क्रम में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2022 द्वारा Clarification/निर्देश इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे। वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा के द्वारा प्रेषित *Plantation scheme* का भारत सरकार के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर लें एवं यदि आवश्यक हो, तो संशोधित *Plantation scheme* प्रस्ताव के नोडल प्रभागीय निदेशक, उन्नाव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे इसका समावेश किया जा सके।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

पत्रांकः– 2352 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज / रूहेलखण्ड जोन, बरेली / पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ।
2. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एवं प्रयागराज।
4. प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायु, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ।
5. श्री अतुल अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वन) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

10/2/22

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/727 दिनांक–09.02.2022

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)/नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषय– गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के आर0ओ0डब्ल्यू0 में स्थित भूमि पर मार्ग वृक्षारोपण कराने के संबंध में।

Adso

cert...

10/2/22

संदर्भ– मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक – 2261/11–सी, लखनऊ, दिनांक–01.02.2022.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 17.01.2022 के बिन्दु सं0 6 के द्वारा Road side plantation स्कीम प्रेषित करने हेतु आग्रह किया गया था। उक्त बिन्दु पर clarification हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें यूपीडा के 28.01.2022 के पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 1 का उल्लेख किया गया हैं जो निम्नानुसार है–

वन विभाग के द्वारा यूपीडा के स्वामित्व वाली भूमि पर रोड साईड प्लान्टेशन करने का निर्देश क्या भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निर्गत एफ0सी0ए0 गाईडलाईन अथवा किसी ऑफिस मेमोरेण्डम (O.M.) से आच्छादित है। यदि हॉ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2.0 आप अवगत हैं कि रोड साईड प्लान्टेशन/पटरी वृक्षारोपण हरित राज्यमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण) नीति 2015 के Clause no. 4 के अन्तर्गत 4.1 पटरी क्षेत्र जहॉं संरक्षित वन घोषित हैं वहॉं वन विभाग द्वारा एवं 4.2 पटरी क्षेत्र जहॉं संरक्षित वन नहीं घोषित हैं वहॉं विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसी नीति के तहत पटरी वृक्षारोपण प्रस्तावित किया जाता है।

3.0 NGT, OA No. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राज्य सरकार राजस्थान के वाद में पटरी वृक्षारोपण एवं मिडीयन वृक्षारोपण करने के निर्देश निम्नानुसार पारित किए गए हैं–

- Avenue plantation of trees on both sides of the road, preferably during the time when the work of construction and development of the road is going on will be carried out.
- The provisions of cost of such avenue plantations will be provided in the project cost itself and will be got done by the concerned agencies seeking technical guidance of the Forest Department.

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

उक्त आदेश के अनुपालनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक सड़क निर्माण/चौड़ीकरण के प्रकरणों में पटरी वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की जाती है।

4.0 अतः स्पष्ट है कि IRC Guidelines, हरित राज्यमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण एवं अनुरक्षण) नीति 2015 एवं NGT के उक्त आदेशों के कम में पटरी वृक्षारोपण करने की शर्त सड़क निर्माण/चौड़ीकरण के प्रकरणों में अधिरोपित की जाती है।

5.0 उक्त वृक्षारोपण की गुणवत्ता हेतु यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण किसी technically sound एजेंसी द्वारा किया जाए जैसा कि हरित राज्यमार्ग नीति में भी उल्लिखित है। प्रायः यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रो मे वृक्षारोपण किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया है उन वृक्षारोपणों की स्थिति अच्छी नहीं है एवं वहॉ संरक्षण के संदर्भ में भी दिक्कतें आती हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से भी उक्त व्याख्यान की पुष्टि हेतु कतिपय प्रकरणों यथा ताज एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे एवं यूपीडा द्वारा निर्मित अन्य सड़कों से सम्बन्धित पटरी वृक्षारोपण की स्थिति की जॉच कराकर विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करें।

6.0 प्रकरण में दिनांक 25.02.2022 को बैठक प्रस्तावित की जाती है, उक्त बैठक में विचार–विमर्श हेतु राज्य सरकार एवं यूपीडा के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे ताकि पटरी वृक्षारोपण के सम्बन्ध में तर्कसंगत निर्णय लिया जा सके।

09.02.2022

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन-महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ